न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 827/2018

अनवान : –

1. दानी देवी पत्नी जुहाराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामदयाल पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. जुहाराम पुत्र नारायण–फौत
   4/क. कृष्णचन्द्र 4/ख. सिलोचना 4/ग. गज्जुसिंह पि0 जुहाराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. रूघाराम पुत्र बिसाऊ –फौत
   5/क. चावली पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोरह।
   5/ख. रामस्वरूप 5/ग. बनवारीलाल 5/घ. आदराम 5/ड़. कौशल्या 5/च. सावित्री पि0 रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. रामसिंह पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. धर्मपाल पुत्र पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. सुभाषचन्द्र पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. सत्यजीत पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. अशोक कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. जीवणी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. अजयसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. अनुज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. रतीराम पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. हेतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चक 18 जीजीएम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 बैक नोहर।
19. प्रबन्धक पी0एन0बी बैंक परलीका तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 24/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख०न० 105, 106, 107 व ख0न0 131 तथा 740 की कुल 21.3090 हैक्ट में से वादिया ने प्रतिवादीगण स० 1 ... हिस्सा की भूमि में से जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक 13.9.2006 को 5 ... 1.3290 हैक्ट भूमि खरीद की थी।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का कब्जा खरीददार वादिया को ... समय सम्भला दिया था तब से उक्त खरीद शुद्वा भूमि पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन वादिया अनपढ घरेलु काम काजी औरत है, तथा उसने इस भूमि का बैयनामा अपने घर में रख

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

लिया और अनभिज्ञयता के कारण उक्त भूमि के नामान्तरण आदि की कार्यवाही नही की तथा वादिया की यह खरीद शुद्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण स० 1 व 2 के नाम से ही चली आ रही है। जिससे वादिया के काश्तकारी हकुक का हनन होता है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख0न0 105, 106, 107 व ख0न0 131 तथा 740 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 1 व 2 के हिस्सा की भूमि में से 1.3279 हैक्ट भूमि वादिया की खरीद शुद्वा खातेदारी कृषि भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के हिस्सा में से 105 हिस्सा भूमि वादिया के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को दिया जावे अन्य अनुतोष न्यायहित में बहक वादिया.. प्रदान किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने जाहिर किया की प्रतिवादी स0 1 ता 2 की पैरवी की हिदायत नही है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क अंकित किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य असल बैयनामा रोही मौजा बडबिराना ईएक्सपी–1, चित्रप्रति बैयनामा ईएक्सपी ए–1, नकल जमाबंदी रोही मौजा बडबिराना सम्वत 2073–76 ईएक्सपी–2 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख0न0 105, 106, 107 व ख0न0 131 तथा 740 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 1 व 2 के हिस्सा की भूमि में से 1.3279 हैक्ट भूमि वादिया की खरीद शुद्धा खातेदारी कृषि भूमि है जो की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.09.2006 को खरीद की गई है लेकिन मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हुई है अतः प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर मुताबिक बैयनामा वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को सुना किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 294/271 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul.

1973/35515 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि दानी देवी द्वारा उक्त भूमि में से 5 बिघा 5 बिस्वा यानि की 1.3279 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रामदयाल, पवनकुमार पि0 सन्तराम से खरीद की गई है एवं वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दानीदेवी द्वारा खरीद की गई भूमि दानीदेवी के नाम आंदिनांक तक दर्ज नही हुई है। अतः मुताबिक बैयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1.3279 हैक्ट भूमि कम की जाकर वादीया के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 294/271 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 1973/35515 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 1.3279 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से बहिब कम की जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैयनामा की हद तक रहन लागु नही रहेगा एवं उक्त रहन प्रतिवादी स0 1 ता 2 की शेष भूमि पर यथावत रहेगी तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 827/2018

अनवान : –

1. दानी देवी पत्नी जुहाराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामदयाल पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. जुहाराम पुत्र नारायण–फौत
   4/क. कृष्णचन्द्र 4/ख. सिलोचना 4/ग. गज्जुसिंह पि0 जुहाराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. रूघाराम पुत्र बिसाऊ –फौत
   5/क. चावली पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोरह।
   5/ख. रामस्वरूप 5/ग. बनवारीलाल 5/घ. आदराम 5/ड. कौशल्या 5/च. सावित्री पि0 रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. रामसिंह पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. धर्मपाल पुत्र पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. सुभाषचन्द्र पुत्र बिसाऊ जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. सत्यजीत पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. अशोक कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. जीवणी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. अजयसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. अनुज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. रतीराम पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. हेतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चक 18 जीजीएम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 बैक नोहर।
19. प्रबन्धक पी0एन0बी बैंक परलीका तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 827 सन 2018 निर्णय दिनांक 24/09/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 294/271 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 1973/35515 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 1.3279 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से बहिब कम की जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैयनामा की हद तक रहन लागु नही रहेगा एवं उक्त रहन प्रतिवादी स0 1 ता 2 की शेष भूमि पर यथावत रहेगी तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन क[illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/09/2[illegible] [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर